सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः–2016/00108 दर्ज तिथिः– 29.08.2016

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र छाजू
2. रामगोपाल पुत्र छाजू
   समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी गुवाडा आमाला तहसील थानागाजी अलवर।

...................प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

.....अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ता–श्री बनवारी शर्मा।
अप्रार्थीः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

दिनांक 03.07.2023

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी आराजी खसरा संख्या 85/0.53 है0 वाके ग्राम धेंतल तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी के समीप स्थित हाल खसरा संख्या 33/0.72 सिवायचक तथा हाल खसरा संख्या 34/2.20 है0 किस्म चारागाह से होकर प्रार्थी पूर्व से ही अपनी खातेदारी भूमि तक आता–जाता रहा है। चूंकि उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तथा इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:16:54 IST
Reason: SelfAttested

कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर कृषि कार्य के लिए पहुंच मार्ग हेतु रास्ता करीब 15 फीट चौडाई में प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक मौके पर जारी विद्यमान मार्ग को नवीन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तहसीलदार थानागाजी से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक / भू0अ0 / 2023 / 798 दिनांक 14.03.2023 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई।

3. वकील प्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को मात्र दौहराते हुये हाल खसरा संख्या 33 / 0.72 सिवायचक तथा हाल खसरा संख्या 34 / 2.20 है0 किस्म चारागाह से होकर प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता करीब 15 फीट चौडाई में प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक मौके पर जारी विद्यमान मार्ग को प्रार्थी की खातेदारी आराजी में से चारागाह हेतु आवश्यक भूमि समर्पण कर नवीन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है—

धारा 251—क— अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना—*(1) जहॉ*

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है—

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड़ अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, और ऐसा अधिकारी, यदि संक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि—

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:16:54 IST
Reason: SelfAttested

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और
(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो ***लघुत्तम या निकटतम रूट*** *से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।*

(1) जहॉ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:16:54 IST
Reason: SelfAttested

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 20[illegible] the rates determined by the State Government under sub-rule [illegible] of Rule 58 of the

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:16:54 IST
Reason: SelfAttested

Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत सरकारी चारागाह तथा सिवायचक भूमि से नवीन रास्ता चाहा गया है। सरकारी चारागाह भूमि से नवीन रास्ता हेतु राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 के द्वारा निर्देश जारी किये हुए है। अतः राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 का प्रासंगिक विवरण इस प्रकार हैः–

परिपत्र

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि कुछ प्रकरणों में खातेदार की अपनी जोत तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है और खातेदार राजकीय (चारागाह) में से ही होकर अपनी जोत तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में खातेदार द्वारा अपनी जोत का संपरिवर्तन चाहे जाने पर उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह दर्ज होने के कारण संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों में प्रार्थी द्वारा जितनी भूमि चारागाह में रास्ते हेतु चाही जा रही है, उतनी ही भूमि स्वंय की खातेदारी भूमि में से चारागाह में दर्ज किये जाने का आवेदन करने पर चारागाह भूमि के बदले समर्पण की जाने वाली भूमि को चारागाह रिकॉर्ड दर्ज किया जाये। इसकी एवज में राजकीय चारागाह भूमि जिसमें रास्ता चाहा गया है की भूमि में राजकीय रास्ता सार्वजनिक दर्ज किया जा सकता है। प्रार्थी को निनिमय में चारागाह भूमि नहीं दी जावे।

7. इसके साथ ही सरकारी चारागाह भूमि से नवीन रास्ता हेतु राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3(52)राज–6/2013 दिनांक 01.09.2014 के द्वारा मार्गदर्शन जारी किया गया है। अतः राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3(52)राज–6/2013 दिनांक 01.09.2014 का प्रासंगिक विवरण इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:16:54 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से आप द्वारा मार्गदर्शन अपेक्षित किया कि राजकीय भूमि में से किस किस्म की भूमि में से रास्ता दिया जा सकता है? अर्थात् चारागाह भूमि में से भी रास्ता दिया जा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपालसिंह प्रकरण में पारित आदेश 28.01.2011 के अनुसरण में इस विभाग के परिपत्र दिनांक 25.04.2011 से चारागाह भूमि के निजी एवं व्यावसायिक हेतु आवंटन पर रोक कायम लेण्ड मानकर लगायी है। चारागाह भूमि में से रास्ते हेतु दिया जाना निजी एवं व्यावसायिक उपयोग श्रेणी में नहीं कहा जा सकता है। चारागाह भूमि सार्वजनिक भूमि है तथा रास्ता भी सार्वजनिक होगा।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि परिपत्र 14.06.2013 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। सूचनार्थ प्रेषित है।

5. इसके साथ ही राजस्व (ग्रुप—6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांकः एफ.10 (3) रेव.—6/2001 पीटी./06 जयपुर दिनांक 27.01.2022 के द्वारा संशोधित राजस्थान काश्तकारी नियम—1955 के नियम—7 के तहत महत्वपूर्ण सार्वजनिक रास्तों को नियमानुसार चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति करते हुये रास्ता दर्ज करने के प्रावधान बनाये गये है।

6. प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के तहत सरकारी सिवायचक भूमि से भी नवीन रास्ता चाहा गया है। सरकारी सिवायचक भूमि से नवीन रास्ता हेतु राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के द्वारा निर्देश जारी किये हुए है। अतः राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 का प्रासंगिक विवरण इस प्रकार हैः—

परिपत्र

विषयः—राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध में।

सम्बंधित खातेदारों की आपसी सहमति से उनके खेतों तक पहुँच के लिए रास्ता गुजरता है या नया रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाता है। यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई राजकीय भूमि पडती है तो उसका भी समाधान किया जा चुका है एवं यदि खातेदार आपसी में सहमत [illegible] वह खातेदार जिसको जोत तक पहुँच ने के लिए अन्य खातेदार [illegible] जोत में से होकर नया

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:16:54 IST
Reason: SelfAttested

मार्ग बनाना है या पुराने रास्ते को चौडा करना है तो उनका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–251–क में दिया गया है। लेकिन उक्त प्रावधान केवल खातेदारी भूमि पर से रास्ते के सम्बन्ध में ही है। लेकिन ऐसे प्रकरण जिसमें खातेदार को अपनी जोत तक पहुँच ने के लिए कोई रास्ता नही है। खातेदार राजकीय भूमि में से होकर ही अपनी जोत तक पहुँच सकता है। खातेदार द्वारा अपनी जोत तक आन–जाने के लिए रास्ता चाहा जा रहा है।

उक्त समस्या के समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुँच ने लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जाँच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुँचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम–2004 के नियम–2 के उपनियम–(1) के खण्ड–(ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों पर दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावें। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूट से होगा तथा 30 फिट से अधिक चौडा नही होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जावेगी तथा उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

8. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:16:54 IST
Reason: SelfAttested

9. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–1 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। इस बाबत तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 14.03.2023 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है कि प्रार्थी की आराजी तक पहुंच हेतु कोई रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। अतः शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 14.03.2023 द्वारा लघुत्तम मार्ग बाबत विकल्प को प्रस्तावित किया गया है। उक्त तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 14.03.2023 द्वारा प्रस्तावित लघुत्तम मार्ग के विकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प रिकॉर्ड व मौका अनुसार उपलब्ध होना प्रतीत नहीं होता है। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 14.03.2023 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 तथा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3(52)राज–6/2013 दिनांक 01.09.2014 के द्वारा जारी मार्गदर्शन तथा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांकः एफ.10 (3) रेव.–6/2001 पीटी./06 जयपुर दिनांक 27.01.2022 के अनुसार कोई खातेदार चारागाह भूमि मे से होकर अपनी आराजी तक रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज करवा सकता है। उक्तानुसार खातेदार की आराजी तक नवीन रास्ते के पेटे आई भूमि की क्षतिपूर्ति के एवज में आवेदक खातेदार द्वारा उसी राजस्व गांव में दर्ज रिकॉर्ड चारागाह आराजी के समीपवर्ती/लगती हुई अपनी खातेदारी में से समानुपातिक रकबे को चारागाह के पेटे समर्पित करने के प्रावधान है। इस प्रकार चारागाह भूमि में से नवीन रास्ते में आई भूमि के एवज में खातेदारी आराजी को चारागाह हेतु समर्पित किये जाने से चारागाह भूमि का रकबा राजस्व गांव में यथावत बना रहने के प्रावधान की सुसंगतता के आधार पर हाल खसरा संख्या 34/2.20 है0 चारागाह भूमि में से होकर तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 14.03.2023 द्वारा प्रस्तावित चौड़ाई व मार्ग मुताबिक रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:16:54 IST
Reason: SelfAttested

14.06.2013 के द्वारा निर्देश अनुसार हाल खसरा संख्या 33 / 0.72 है0 सिवायचक भूमि में से होकर तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 14.03.2023 द्वारा प्रस्तावित चौडाई व मार्ग पर सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

12. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार थानागाजी के पत्र क्रमांक क्रमांक / भू0अ0 / 2023 / 798 दिनांक 14.03.2023 के द्वारा प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा सिवायचक भूमि से होकर रास्ता दर्ज करने बाबत राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 तथा चारागाह भूमि से होकर रास्ता दर्ज रिकॉर्ड करने बाबत राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 तथा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3(52)राज–6 / 2013 दिनांक 01. 09.2014 के द्वारा जारी मार्गदर्शन तथा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांकः एफ.10 (3) रेव.–6 / 2001 पीटी. / 06 जयपुर दिनांक 27.01.2022 के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार थानागाजी की दिनांक 14.03.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्ताव लघुत्तम मार्ग बतौर 15 फुट चौडा गैर मुमकिन रास्ता हेतु सिवायचक भूमि के पेटे नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि आकलित कर भुगतान करने तथा रास्ते में आई चारागाह भूमि के पेटे प्रार्थी की खातेदारी आराजी में से प्रार्थी द्वारा चारागाह हेतु समानुपातिक रकबे की भूमि समर्पित करने व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के पश्चात् चारागाह भूमि में से होकर नवीन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार थानागाजी के पत्र क्रमांक क्रमांक/भू0अ0/2023/798 दिनांक 14.03.2023 के द्वारा प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा सिवायचक भूमि से होकर रास्ता दर्ज करने बाबत राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 14. 06.2013 तथा चारागाह भूमि से होकर रास्ता दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:16:54 IST
Reason: SelfAttested

रिकॉर्ड करने बाबत राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 तथा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3(52)राज–6/2013 दिनांक 01.09. 2014 के द्वारा जारी मार्गदर्शन तथा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांकः एफ.10 (3) रेव.–6/2001 पीटी./06 जयपुर दिनांक 27.01.2022 के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार थानागाजी को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 14.03.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट में अंकित प्रस्ताव में इंगित लाल रंग से प्रदर्शित 15 फुट चौडाई के हाल आराजी खसरा संख्या 34/2.20 है0 किस्म चारागाह वाके ग्राम धेंतल में से रास्ते में आयी भूमि की एवज में क्षतिपूर्ति हेतु चारागाह के खसरे के लगती हुई प्रार्थी की आराजी खातेदारी में से रास्ते में आई भूमि के समानुपातिक रकबे की प्रार्थी की आराजी खातेदारी भूमि को चारागाह दर्ज रिकॉर्ड करते हुये तथा हाल आराजी खसरा संख्या 33/0.72 किस्म सिवायचक वाके ग्राम धेंतल से होकर रास्ते के पेटे आई भूमि के एवज में राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आकलित कर उक्त राशि के भुगतान पश्चात नियमानुसार रास्ते को पृथक खसरा संख्या प्रदान करते हुए सार्वजनिक उपयोग हेतु गैर मुमकिन रास्ता संबंधित सिवायचक/चारागाह खाते में दर्ज किया जावें। दिनांक 14.03.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार थानागाजी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 03.07.2023 को लिखवाया जाकर सरे–ईजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:16:54 IST
Reason: SelfAttested